न्यायालय श्रीमान् सदस्य महोदय राजस्व मंडल (शहडोल कैम्प)
जिला रीवा म0प्र0

149

(निगरानीकर्ता अनुसूचित जनजाति का है)

R.S.076-III/16

सेनेलाल पिता कल्याण महरा (अनुसूचित जाति) निवासी ग्राम बेलगवॉ तहसील पुष्पराजगढ़ जिला अनूपपुर (म0प्र0) ....निगराकार

विरूद्ध

दसई चौधरी तनय मोहन चौधरी निवासी ग्राम बेलगवॉ तहसील पुष्पराजगढ़ जिला अनूपपुर (म0प्र0) ....उत्तरवादीगण

R- 4005-II/12 / 12/2/16

श्री पुरुषोत्तम सिंह ... एड द्वारा आज दिनांक 12-2-16 को 5.20 P.M प्रस्तुत किया गया

रीडर
सर्किट कोर्ट रीवा

आवेदन पत्र बावत् प्रकरण मे आज दिनांक 12.02.16 को पारित अदम पैरवी मे खारिज किये जाने की आदेश को निरस्त कर प्रकरण को पुनर्स्थापित किये जाने बावत्। अंतर्गत आवेदनपत्र 35 (3) म.प्र.भू.रा.सं. 1959

मान्यवर ,

आवेदन पत्र के आधार निम्नलिखित है :-

1. यह कि उपरोक्त उन्वान प्रकरण माननीय न्यायालय मे लंबित है तथा आज दिनांक 12-02-2016 को दायरा बहस हेतु नियत है। जिसमे प्रार्थी/अधिवक्ता अभी 3.00 पी.एम. पर न्यायालय मे उपस्थित हुआ तो पता चला कि उक्त प्रकरण को पुकार पर पक्षकार या अधिवक्ता के उपस्थित ना होने से अदम पैरवी मे खारिज कर दिया गया है।

2. यह कि निगराकार रीवा से लगभग 300 कि.मी. दूर रहता है तथा आदिवासी गरीब किसान है। जिसके कारण आज नियत दिनांक 12--12--2012 को माननीय न्यायालय मे उपस्थित नहीं हो सका है। प्रार्थी/अधिवक्ता आज दिनांक को सिविल न्यायालय मे प्रकरणों मे साक्ष्य कराने के कारण लंच के पहले माननीय न्यायालय मे पुकार के समय उपस्थित नहीं हो पाये थे। तथा लंच के पश्चात जैसे ही सिविल न्यायालय की गवाही खत्म हुई प्रार्थी/अधिवक्ता तुरन्त माननीय न्यायालय मे उपस्थित हुए, तो पेशकार महोदय द्वारा बताया गया कि प्रकरण मे लंच के पूर्व पुकार लगायी गयी थी तथा किसी

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ
भाग–अ

जिला अनूपपुर

प्रकरण क्रमांक 5076–तीन/16 विविध

न दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
8-09-17	न्यायालय के प्रकरण कमांक 4005–दो/2012 निगरानी , जो आदेश दिनांक 12–2–16 से अदम पैरबी में निरस्त हुआ है, के पुर्नस्थापन हेतु मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 35 (3) के अंतर्गत यह आवेदन प्रस्तुत प्रस्तुत हुआ है । आवेदक के अभिभाषक के तर्क सुने तथा प्रस्तुत अभिलेख का अवलोकन किया गया। 2/ आवेदक के अभिभाषक के तर्को पर विचार करने एंव प्रकरण कमांक 4005–दो/2012 निगरानी में दिये गये आदेश दिनांक 12–2–16 के पुर्नस्थापन हेतु इसी दिन 12–2–16 की सॉयकाल 5–20 पुर्नस्थापन आवेदन दे दिया गया है जिसमें वर्णित तथ्य समाधान–कारक है। अतः प्रकरण कमांक 4005–दो/2012 निगरानी पुर्नजीवित किया जाता है। इस आदेश की एक प्रति प्रकरण कमांक 4005–दो/2012 निगरानी में संलग्न की जावे। इस प्रकरण में किसी प्रकार की कार्यवाही शेष न रहने से नस्तीबद्व किया जाकर रिकार्ड दाखिल किया जावे। सदस्य	